दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-20* ❑ *दिल्ली* ❑ *अगस्त 2019 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

धर्मान्तरण का कारण सदियों का दलित उत्पीड़न

• डॉ. अवन्तिका प्रसाद मरमट

दलितों–आदिवासियों में धर्मान्तरण एक संवेदनशील मसला रहा है। इस कारण विषय पर गंभीरता से इसके हर पहलू पर विचार करना समीचीन होगा। इस संदर्भ में आजादी के पूर्व दलित की क्या स्थिति थी, इसके लिये दलित समाज में जन्म डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन की घटनाओं से जुड़े साक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। उस समय दलितों की स्थिति पशु से भी बदतर थी। तालाबों एवं सार्वजनिक कुंओं से पानी पीने की मनाही थी। मंदिर प्रवेश दलितों के लिये पूर्णतया निषेध था। सार्वजनिक सड़कों पर से गुजरना दलितों के लिये कठिन था। वे अपने विवाह, मोसर में घी के पकवान नहीं बना सकते थे। अच्छे कपड़े और जेवर पहनना सवर्णों को खलता था। बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान थे, परन्तु फिर भी उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया। चपरासी फाईल फेंक कर देता था, वहीं पारसी लोगों ने अन्य लोगों के दबाव में आकर किराये पर दिया गया लॉज उनसे खाली करा लिया था। इस प्रकार दलित मानवाधिकार से पूर्णतया वंचित स्थिति में जीवन जी रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या वे हिन्दू नहीं थे? समाज में दलितों, आदिवासियों एवं सामान्य महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी। तुलसीदास जी ने लिखा है–

''ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी।''

इन सबके प्रतिक्रिया स्वरूप डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिये संघर्ष करने का मन बना लिया। उन्होंने चौबदार तालाब पर जाकर संघर्ष के साथ पानी पिया, वहीं कालाराम मंदिर में दलितों का सामूहिक प्रवेश कराया तथा दलितों के अधिकारों के लिये ''राउंड टेबल कान्फ्रेंस'' आदि में उनके पक्ष में पुरजोर वकालत की।

हिन्दू धर्म में समाज का एक बड़ा वर्ग दलित और आदिवासी तथा पिछड़ा वर्ग 'शूद्र' संज्ञा से पहचाना जाता रहा है। उसकी जनसंख्या भारत में 75 प्रतिशत के लगभग है। आज दलित और आदिवासी दोनों मिलाकर इस देश में लगभग 25 करोड़ हैं, इतने बड़े वर्ग के प्रति हिन्दू धर्म में न कोई धार्मिक अधिकार है, और न ही सामाजिक अधिकारों से वह धर्म में मण्डित है। मनुस्मृति जो एक दासता का कानून है और जिसके माध्यम से उच्च वर्गीय हिन्दू समाज ने अछूतों (दलितों) एवं आदिवासियों पर अनेक बंधन लगाए। उन्हें धनहीन, भूमिहीन, अस्त्रहीन बनाकर गुलामी का जीवन जीने के लिये मजबूर किया गया। यह स्थिति भयावह थी, अपमान जनक थी। हिन्दू धर्म के अमानवीय व्यवहार एवं निरन्तर उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में धर्मान्तरण की घोषणा तो कर ही दी थी परन्तु प्रचलित धर्मों में कौन सा धर्म उपयुक्त तथा भारतीय संस्कृति के अनुकूल था, इस पर उन्होंने 30 वर्षों तक गहन चिन्तन और मनन किया। अन्ततः उन्होंने यह पाया कि बौद्ध धर्म में न तो वर्ण व्यवस्था है जिसके कारण ऊंच–नीच का प्रश्न जुड़ा है। बौद्ध धर्म में आडम्बर तथा कुरीतियों का सर्वथा अभाव था। **''अत्त दीपो भवः''** अर्थात् ''अपने दीपक आप बनो'' का संदेश डॉ. अम्बेडकर को काफी पसन्द आया और उन्होंने आखिरकार अपने 5 लाख दलित अनुयायियों के साथ 1956 में विजयादशमी के दिन नागपुर में ऐतिहासिक धर्मान्तरण किया।

दलित उत्पीड़न समाज में प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया जा सकता है। छतरपुर का ग्राम कलानी, जोकि हरिजन बाहुल्य गांव है, उसमें आज भी हरिजन एवं धोबियों के लिये मंदिर प्रवेश वर्जित है। यही स्थिति पीने के पानी के सन्दर्भ में है। हिमाचल प्रदेश के ग्राम सतीवाड़ा जिला सिरमोर में अनुसूचित जाति के गोकुल ने सवर्ण जाति की महिला से पानी मांगा। महिला ने पास के नल की ओर इशारा कर दिया जैसे ही गोकुल ने नल को हाथ लगाया, बरार गांव के पूरणसिंह जाट ने गोकुल का हाथ तोड़ दिया। यह घटना 24 अप्रैल, 1955 की है। वैसे तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद उसके कई अनुच्छेदों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

समृद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ भारत बनाने के लिए सवर्ण लोगों के दिल व दिमाग की सफाई की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए नारा दिया है–'सबका साथ, सबका विकास–सबका विश्वास'। प्रधानमंत्री के इस नारे का सभी देशवासियों ने स्वागत किया है। इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री के हर कार्य, हर योजना और हर आन्दोलन में उनके साथ हैं। उन्होंने देश को स्वच्छ, साफ–सुथरा बनाने के लिए 'स्वच्छ भारत' का जो नारा दिया था उनके इस नारे के साथ सहमति जताते हुए लोगों ने उनके 'स्वच्छ भारत अभियान' में पूरे तन मन से सहयोग दिया था। इससे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा हुई है और लोग अपने आस–पास सभी जगह स्वच्छ वातावरण देखना चाहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई।

लेकिन, भारत की बाह्य स्वच्छता तभी स्थायी रह सकती है जब भारत के लोगों के दिल व दिमाग में भी स्वच्छता हो। अगर देश के लोगों के अन्दर जात–पात, वर्ण व्यवस्था, ऊंच–नीच, भेदभाव कायम है और धर्म, भाषा, पहनावा आदि के आधार पर वे एक दूसरे से नफरत है, तो ऐसी हालत में स्वच्छ भारत का नारा अधूरा है। जब तक एक ही समाज और एक ही धर्म के लोगों के अन्दर एक दूसरे के प्रति ऊंच–नीच, छुआछूत, भेदभाव, घृणा, तिरस्कार, हेय की भावना व्याप्त है, तब तक न तो स्वच्छ समाज बनेगा और न ही स्वच्छतापूर्ण भारत।

देश में सर्वोच्च भारतीय संविधान है जिससे बंधकर सारा देश शासित होता है। यह भारतीय संविधान ही अपने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समता, बन्धुता व सामाजिक न्याय का अधिकार देता है। ये संवैधानिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रदेश, वेशभूषा के जन्मजात प्राप्त हैं। दूसरी ओर इन नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र है।

भारतीय संविधान और लोकतंत्र के चारों स्तम्भ के होते हुए भी हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही है, पर उनके उन अधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर लोकतंत्र के चारों स्तम्भ भी आंख मूंदे चुप हैं। देश के दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस अन्याय के सबसे ज्यादा शिकार हैं। इसका मुख्य कारण हिन्दू समाज का उच्च–सवर्ण वर्ग अपने आप को आज भी भारतीय संविधान और देश के कानून से ऊपर मानता है। यही कारण है कि देश में जिस तरह से भीड़ के न्याय की संस्कृति चल रही है और लोगों को पीट–पीट कर मौत के घाट उतारने की बर्बर घटनायें सामने आ रही हैं, वह चिंताजनक तो है ही, एक लोकतांत्रिक और सभ्य राष्ट्र के लिए शर्मनाक भी हैं। इस तरह की घटनाओं का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उससे साफ है कि देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज रही ही नहीं है। उन्मादी जंगल राज कायम कर रहे हैं और सरकारें चुपचाप देख रही हैं। भीड़ हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण, हत्या आदि की हो रही ये घटनायें सरकारों के माथे पर कलंक हैं।

अब से कुछ दिन पहले बिहार के छपरा और वैशाली जिलों में भीड़ ने चार लोगों को पीट–पीट कर मार दिया। छपरा के जिस गांव के तीन लोगों को मार डाला गया, उन पर मवेशी चोरी का आरोप था और वैशाली में जिस युवक को मार डाला गया उस पर आरोप था कि वह बैंक लूटने

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

पृष्ठ 1 का शेष...धर्मान्तरण का कारण सदियों का दलित उत्पीड़न

के माध्यम से दलित उत्पीड़न के रोकथाम हेतु कानून बने और दण्ड का प्रावधान भी किया गया परन्तु गैर दलित हिन्दुओं पर कानूनों का कोई विशेष असर नहीं हुआ। आज भी थानों में दलितों के साथ हुए उत्पीड़न या अत्याचार को दर्ज नहीं किया जाता है। उनकी जमीन पर बैजारूप से कब्जा कर लिया जाता है। उन्हें जानवरों के समान पीटा जाता है। दलित महिलाओं को नंगा कर घुमाया जाता है। दलितों की मूंछें कटवाई जाती हैं तथा उनकी बहन–बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। दलित समाज के दुल्हे को घोड़े पर बैठकर गांव में सवर्ण समाज के आगे से नहीं निकालने दिया जाता है। यह सब दलितों के साथ सदियों से क्यों हो रहा है? आजाद भारत में भी यह क्रम क्यों नहीं रुक रहा? इस विषय पर चिंतन, मनन का सिलसिला जारी रहना चाहिए।

कहने में तो कानून की नजर में भी दलित और आदिवासी, दोनों ही वर्ग हिन्दू कहलाते हैं पर क्या हिन्दू इन्हें अपना मानते हैं? इन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं? यदि ऐसा करता होते तो दलित उत्पीड़न के आंकड़े निरन्तर कम होते है। एक बार सड़क पर काम करते समय उन्हें प्यास लगी। निकट के कुंए पर गये। हिन्दुओं ने अपनी दकियानूसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें पानी खींचने से मना कर दिया। पास में कोई दूसरा जलाशय न था। प्यार जोर से लगी थी। निकट ही एक मस्जिद थी। मेघों को उस समय एक उपाय सूझ पड़ा। वे तुरन्त मस्जिद में जा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गये। जब मेघ मुस्लिम बन कर कुएं पर आये, तब हिन्दुओं को झकमार कर उन्हें पानी खींच देना पड़ा। दो घंटों के बीच में मेघों की अपवित्रता कहां चली गई। सागर विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने अपमान के बदले मुस्लिम धर्म मय परिवार के ग्रहण कर लिया। जबकि गुना जिले के चमारों ने आत्मसम्मान के खातिर सिक्ख धर्म अपना लिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हजारों दलित हिन्दू धर्म से दूसरे धर्म की ओर धर्मान्तरित होते चले गये। लेकिन हिन्दू सोच में कोई बदलाव नहीं आया।

आज भी ग्रामीण इलाकों में दलितों की स्थिति बराबरी की न होकर भेद–भावपूर्ण बनी हुई थी। अभी कुछ समय पूर्व ही दो लाख हिन्दुओं की ईसाई धर्म में दीक्षित होने की चर्चा बात का प्रतीक नहीं है कि शूद्र वैदिक परम्परा के नहीं थे, वे अवैदिक परम्परा के लोग हैं। वर्ण भेद और जातिभेद दोनों में असमानता मौजूद है। आरक्षण पूना–पैक्ट की देन है और हम देखते हैं कि आरक्षण का विरोध निरन्तर उच्चवर्गीय समाज द्वारा किया जाता रहा है। यही कारण रहा कि पदोन्नति में आरक्षण बाबत बीच में प्रतिबन्ध लगाये गये। दलित संगठनों द्वारा लाख–दस लाख तक की रैलियां निकाल कर आरक्षण विरोधियों को जवाब दिया गया। दिल्ली के एक अधिकारी ने 4 नवम्बर, 2001 को हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन सब घटनाओं से दलित बैचेनी उजागर है। गांवों में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार आम बात है। जिस पर एक हिन्दू होने के नाते उच्च वर्गीय हिन्दुओं द्वारा जो समर्थन भुक्तभोगी दलित को दिया जाना चाहिए, वह कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। श्री मोतीलाल शर्मा द्वारा लिखी कविता धर्मान्तरण पर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करती है–

मानदे, अपमान निज जन का किया।
इसलिये लाखों विधर्मी बन गये,
फल मिलेगा दीन–हिये की आह का,
हिन्दुओं अगर वे मुस्ल्ला बन गये।।

अम्बेडकर का कहना है कि धर्म मनुष्य के लिये हैं–मनुष्य धर्म के लिये नहीं है। भारत में व्याप्त वर्ण–व्यवस्था को जातिवाद के रूप में देखने और मानने की प्रवृत्तियां मानवतावादी चिन्तन ने उजागर की हैं। 27 अगस्त से 8 सितम्बर, 2001 के बीच आयोजित 'डरबन सम्मेलन' में दलित जातियों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। मानव अधिकार को लेकर चल रहे इन संगठनों ने भारत में फैले जातिवाद को रंगभेद के समकक्ष रखने के प्रयास किये हैं। जबकि भारत सरकार ने इसे अपना आन्तरिक मामला बताते हुए भारतीय स्तर पर ही निपटने का निर्णय लिया।

बुद्धिजीवी दलित की सोच पुरातनवादी न होकर उन्नतिपरक है। वे धर्म में धर्मभाई होने के नाते अपना बराबरी का हक मांग रहे हैं। उनकी मान्यता है कि अछूतपन या भेदभाव या असमानता उनके स्वाभिमान को गिराती है। जो लोग धर्मान्तरण कर रहे हैं उनकी सोच है कि धर्म में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हिन्दुओं में शक्ति का पूंज ब्राह्मण बना हुआ है, जो शूद्रों को, दलितों को आदिवासियों को वर्तमान दयनीय स्थिति से उभारने का अधिकार नहीं दे रहा जा सकता है? ताकि ऊंच–नीच की स्थाई एवं रूढ़िगत मान्यताओं से मुक्ति पाई जा सके। क्या देश में दलित और आदिवासी धर्मान्तरण न करे इस हेतु हिन्दू संगठनों को एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाना चाहिए ताकि समता और मानवता की भावना पल्लवित हो सके। यह सत्य हे कि वही टूटता है जो कमजोर होता है। हिन्दू धर्म अपनी वर्ण–व्यवस्था रूपी असमानता के कारण तथा रूढ़िगत एवं प्राचीन मान्यताओं के आधार पर दलितों को अपने से पृथक किये हुए हैं। धर्म की दृष्टि से वे पृथक श्रेणी में आ रहे हैं। उनका उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है, न ही वैदिक मंत्रोच्चार से उनके संस्कारों को परिमार्जित किया जा रहा है।

हिन्दू समाज में द्विज–अद्विज, वर्ण–अवर्ण जैसे स्थाई भेद को मिटाने हेतु समग्र समाज को वैचारिक सोच बनानी होगी। इस संबंध में धर्माचार्यों या शंकराचार्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे हिन्दू धर्म के सर्वे–सर्वा बने हुए हैं और संरक्षक के रूप में धर्म को देख रहे हैं, इसलिये दलितों के प्रति न्याय करने का दायित्व भी उन पर आ जाता है, क्योंकि वे उनके धर्म के एक अंग हैं। आज जिन दलितों ने

जाते जहां 1978 में दलितों के साथ हुए अत्याचार की संख्या 15,033 थी, वहीं संख्या 20 वर्ष बाद 1998 में 25,639 हो गई। यह आंकड़े क्या दर्शाते हैं? दलितों के साथ हिन्दू मनोवृत्तियों पर किसी कवि ने यों कहा है–

कुत्ता पाता है प्रसाद और
मार खा रहा उधर चमार।
देखो तनिक पुजारी जी का
है कितना सुन्दर व्यापार।

हिन्दू धर्म में दलित–आदिवासियों के साथ जो अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता है तथा उनके साथ अनेक उत्पीड़क की घटनाएं होती रहती हैं। आये दिन समाचार–पत्रों में सुर्खियों में रहती हैं। दलितों की स्थिति तो अछूपन लिये हुए हैं और उसी के कारण अनेकों बार धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई हैं।

मेरठ के परतपुरा थाना क्षेत्र के अछरौदा गांव के दलितों ने 11 वर्ष की बालिका के साथ हुए दुराचार को लेकर उनके पक्ष में कोई कार्यवाही न किये जाने से 260 दलित समुदाय के लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। दूसरी घटना यमुना नगर की है। इसके अलावा दादूपुर ग्राम में हरबर्ट मिशन द्वारा पूरे गांव के अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी न भरने के कारण ईसाई धर्म में धर्मान्तरण करा लिया गया। तीसरी घटना पंजाब की है जहां 'मेघ' नाम की जाति है वह अछूत समझी जाती प्रकाश में आई। आदिवासियों को ईसाई धर्म में शामिल किया जाने वाला था। इतनी बड़ी संख्या में धर्मान्तरण की खबर ने हिन्दुओं को चौंका दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि झाबुआ जिले में हिन्दू जागरण मंच द्वारा हिन्दू समागम सम्मेलन किया गया। गांवों में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई, घरों के सामने स्वास्तिक और श्रीराम के चिन्ह लगाये गये, सुन्दरकांड और गायत्री मंत्र पढ़े गये। इन सबसे इस समय तो धर्मान्तरण की प्रक्रिया रुक गई, परन्तु जो कुछ हिन्दू समागम द्वारा हुआ उससे धर्मान्तरण को कोई स्थाई इलाज नहीं हो पाया।

दलितों के धर्मान्तरण में वर्ण–व्यवस्था, जिसका आधार चारों वर्णों के ऊंच–नीच पर आधारित है, मुख्य रही है। दलित क्योंकि शूद्र परिभाषा में आते हैं और शूद्रों के लिये मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में उनके विरुद्ध अनेकों निर्बन्ध लगाये गये हैं। शूद्रों को शस्त्रहीन बना दिया गया, इस कारण देश हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा। चार वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र को रखा गया है। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं था और न ही सुनने का चूंकि हिन्दू धर्म का मूल ग्रन्थ ऋग्वेद है और शूद्रों को उसे अध्ययन करने और सुनने पर कठोर सजा निर्धारित थी। क्या यह तथ्य इस

हिन्दू धर्म से अन्य धर्मों में जो लाखों लोग धर्मान्तरण हुए वे वापस नहीं आये। कुछ अपवादों को छोड़कर जो दलित मुसलमान धर्म में चले गये वे आज भी सम्मानपूर्वक मस्जिदों में एक साथ खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं।

इसी प्रकार जो ईसाई धर्म में चले गये उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरियां अर्जित कीं। स्वतंत्रता के पहले जिन अछूतों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया वे अन्य अछूतों के सामने 'साहब' बनकर काम करते रहे हैं। दलित समाज के जो लोग सिक्ख धर्म में बड़ी संख्या में धर्म ग्रहण कर चले गये वे आज गुरु परम्परा के कारण समानता के व्यवहार से शासित हैं। अछूतपन और पिछड़ेपन से त्रसित दलित एवं आदिवासियों ने धर्मान्तरण कर पानी पीने का अधिकार, नाई से कटिंग करवाने का अधिकार, होटलों में ठहरने का अधिकार प्राप्त कर सामाजिक क्रान्ति का एक प्रकार से बिगुल ही बजा दिया है। बौद्ध धर्म में धर्मान्तरित लोगों का मानना है कि उन्होंने वर्ण–व्यवस्था रूपी बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त की है, वहीं दासता, अन्याय एवं अत्याचार से कुछ हद तक मुक्ति भी पाई है जोकि हिन्दू संकीर्णता के कारण कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी।

महात्मा गांधी ने कहा है कि मानव प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, वहीं डॉ. है। आरक्षण के कारण उनकी जो आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधरी है उसके विरोध में भी गैर दलित हिन्दुओं को आरक्षण के विरुद्ध बबेला खड़ा करते देखा है।

कुछ दलित लेखक तो ब्राह्मण ग्रन्थों का हवाला देते हुए लिखते हैं कि ''ब्राह्मण की उत्पत्ति देवों से और शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है।'' क्या यह कथन सही है? और यदि सही नहीं है तो शूद्रों को मनुस्मृति और अन्य ग्रन्थों में निरंतर धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि में पृथक क्यों माना गया और आर्थिक रूप से उन्हें पंगु क्यों बना दिया गया? कभी–कभी तो यह प्रतीत होता है कि मनुष्य शरीरधारी अछूतों के लिये उच्चवर्गीय हिन्दुओं में दया का भाव बहुत कम रहा है। दलितों की सोच है कि निर्धनता और अशिक्षा के कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। बल्कि मानवीय अधिकारों के लिये दलित धर्मान्तरित हो रहे हैं। क्या कभी हिन्दुओं ने सोचा है कि दलित–आदिवासी धर्मान्तरण क्यों कर रहा है? उसे इस धर्म में क्या तकलीफ है? क्या उसकी तकलीफ दूर की गई है? क्या उसे पर्याप्त शिक्षा दी गई है? क्या उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाये रखने के लिये हिन्दू धर्म कुछ कर रहा है?

क्या वर्ण–व्यवस्था की वर्तमान अवधारणाओं में कुछ संशोधन किया हिन्दू धर्म में रहकर ही जिन्दगी जी है और जीते चले जा रहे हैं, उनके प्रति सवर्ण हिन्दुओं को आभारी होना चाहिए कि उनके द्वारा दिये गये अनन्य कष्टों के बावजूद उन्होंने हिन्दू धर्म को नहीं छोड़ा।

अच्छा हो यदि धार्मिक ग्रंथों में जो अपमानजनक बातें शूद्रों और अछूतों के लिये लिखी गई हैं उन्हें न केवल हटाया जाना चाहिए बल्कि व्यावहारिक रूप से भी उच्च वर्गीय हिन्दुओं को उस पर अमल करना चाहिये। देश में ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है। हिन्दू धर्म में मनुष्य एक जैसा महसूस किया जाना चाहिए।

इसलिये धार्मिक और सामाजिक सत्ता का पूंज होने के कारण उसे आगे आना होगा। धर्मान्तरण के मुद्दे पर उसकी सोच ही समाज को अधिक कारगर स्थिति में पहुंचा सकती है। हिन्दू धर्म में व्याप्त मनुवादी सोच के बारे में पुनर्विचार आवश्यक है, इससे धर्मान्तरण की प्रक्रिया पर न केवल रोक लगेगी बल्कि दलित, आदिवासी भी हिन्दू धर्म को अपना समझकर इसके उन्नयन ने अपना योगदान देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे। यदि सारांश में कहें तो उच्च वर्गीय हिन्दू सोच ही धर्मान्तरण को रोकने में सार्थक भूमिका निभा सकती है, अन्यथा सदियों से चली आ रही धर्मान्तरण की प्रक्रिया निरन्तर जीवित रहेगी। •

सम्पादकीय का शेष...समृद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ भारत बनाने के लिए सवर्ण लोगों के दिल व दिमाग की सफाई की जरूरत

आया था। पिछले हफ्ते राजस्थान के अलवर जिले में मामूली घटना के बाद एक मोटर साईकिल सवार को भीड़ ने पीट–पीट कर मार डाला गया। अभी दो दिन पूर्व झारखंड के गुमला में भीड़ ने चार बुजुर्ग आदिवासियों को जादू–टोने के शक में पीट–पीट कर मार डाला।

17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के उभा गांव में 10 आदिवासी लोगों की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि वे अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर 40 ट्रेक्टरों में भरकर आये 200 दबंग लोगों ने अपने साथ लाये हथियारों से उन्हें भून दिया। इनसे लगता है कि पुलिस और प्रशासन ऐसी घटनायें रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है। सवाल उठता है कि भीड़ कानून को अपने हाथ में इसलिए ले रही है कि उसे कानून के शासन में, पुलिस तंत्र में, न्याय प्रणाली में कोई भरोसा नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि ऐसा करने वालों के अन्दर कानून का खौफ नहीं रह गया है।

भीड़ के हाथों अब तक जितनी भी हत्यायें (मास लिंचिग) हुई हैं, उनमें से ज्यादातर मामले गोरक्षा के नाम पर गोरक्षकों से जुड़े हैं जिन्होंने गोरक्षा के नाम पर गोतस्करी के शक में कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पीलू खान, कसाब को गोतस्करी के शक में पीट–पीट कर मार दिया गया। ऐसी भीड़ हिंसा की सबसे ज्यादा घटनायें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् 2010 से अब तक गोहत्या के शक में भीड़ के हमले की 87 घटनायें हुईं जिसमें 34 लोग मारे गये। इनमें ज्यादातर घटनायें 2014 के बाद की हैं। दुःखद बाद यह है कि मौजूदा मोदी सरकार में उन अपराधी गोरक्षकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन अपराधियों के हौंसले और दुस्साहस पर रोक नहीं लग सकी।

इस भीड़ हिंसा के पीछे हिन्दू धर्मान्धता भी एक प्रमुख कारण है। लोग धर्मान्धता के कारण 'जय श्रीराम' नारा बोलने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बाध्य करते हैं। जब वे इसे बोलना नहीं चाहते तो वे भीड़ की हिंसा के शिकार हो जाते हैं और मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। यह संविधान के मौलिक अधिकारों का तो हनन है ही, मानवता के खिलाफ बर्बर अपराध भी है। इस भीड़ हिंसा के खिलाफ देश के 50 से ज्यादा प्रमुख, प्रविख्यात फिल्मकारों, साहित्यकारों, कलाकारों, समाजसेवियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे इन भीड़ हिंसा की घटनाओं पर तुरन्त रोक लगाने की मांग करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है।

भीड़ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि हर जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाये। खुफिया सूचनायें जुटाने के लिए विशेष कार्य बल बनाये जायें जो सोशल मीडिया में चल रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ तंत्र से निपटने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने के लिए भी कहा था, पर केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा से निपटने के लिए कोई भी कानून बनाने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि राज्यों के पास इसके लिये पर्याप्त कानून हैं जिन्हें वे सख्ती से लागू करें। यह तो केन्द्र सरकार के अपनी जिम्मेदारी से बच निकलकर भीड़ हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने जैसी है। इससे भीड़ हिंसा की संस्कृति खत्म नहीं होने वाली, उल्टे इससे देश में दो सम्प्रदायों की बीच असहिष्णुता, वैमनस्य, पारस्परिक घृणा, नफरत, भय, बेचैनी, अशान्ति, असुरक्षा का भाव बढ़ेगा, जो देश की शासन व्यवस्था के लिए नई चुनौती होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सही मायनों में स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं तो उन्हें देश के दलित व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उच्च सवर्ण समाज के लोगों के दिल व दिमाग में धार्मिक उन्माद के साथ जात–पांत, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच–नीच, वर्ण, धर्म के नाम पर जो गन्द भरा हुआ है, उसे साफ करना होगा। स्वच्छ व स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है कि वहां सभी लोगों के अन्दर पारस्परिक सद्भाव, भ्रातृ भाव, समत्व भाव, सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत हो, तभी वे एक दूसरे को सम्मान करते हुए शांति, प्यार, सम्मान के साथ रह सकेंगे।

इस भीड़ हिंसा से भी और ज्यादा खतरनाक जाति का दंश है, जहां भीड़ हिंसा धर्मान्धता से जुड़ी समस्या है, वहीं जाति का दंश की भावना एक सामाजिक रोग है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समता, सौहार्द्रता, सामाजिक न्याय का अधिकार देता है, पर आजादी के 70 सालों बाद भी सवर्ण–उच्च जाति के लोग देश की एक तिहाही आबादी के दलित–वंचित लोगों को यह संवैधानिक अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। वे आज भी समाज को वर्ण व्यवस्था के नाम पर चार वर्ण–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने वाली 'मनुस्मृति' में आस्था रखते हैं जिसके कारण भारत देश हजारों सालों तक विदेशियों का गुलाम बना रहा। वे उन तथाकथित उच्च–सवर्ण जाति के लोगों के अन्दर आज भी दलितों (शूद्र–अछूतों) के युवक को शादी में कुर्सी पर बैठकर खाना खाने को सवर्ण बर्दाश्त नहीं कर सके, और उसे उनके बराबर बैठने की सजा के रूप में पीट–पीट कर अधमरा कर दिया। गुजरात के ऊना में 5 दलित युवकों को मार–पीट कर लहूलुहान इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें मरी गायों के साथ पकड़ा गया था।

अभी पिछले हफ्ते मीडिया में साक्षी मिश्रा का वीडियो आया जिसमें वह कह रही थी कि चूंकि उसने दलित युवक अजितेश से मंदिर में शादी कर ली है, इससे नाराज होकर उसके पिता बरेली के भाजपा सांसद राजेश मिश्रा उन दोनों को जान से मार डालना चाहते हैं। उनसे उनकी जान का खतरा है। अतः उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय ने उनकी शादी को वैध करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान कराने का आदेश दिया।

ये घटना दर्शाती है कि भले ही समाज में पढ़–लिखकर उच्च पदों पर आसीन हो जायें, पर अपना उच्च जाति का दंभ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे आज भी मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था जात–पांत में विश्वास रखते हैं और जन्म के आधार पर मनुष्य की हैसियत का आंकलन करते हैं। वे वर्ण व्यवस्था और जात–पांत की लुंजपुंज लीक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चुनाव जीतने के लिए दलितों का 'वोट' तो चाहते हैं, पर उन्हें अपने बराबर बैठाने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी की उड़ान–चंद्रयान-2

भारत ने सोमवार 21 जुलाई, 2019 को चंद्रयान–2 के सफल प्रक्षेपण को अंजाम देकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगा दी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और देश के दूसरे विज्ञान एवं औद्योगिक संस्थानों के वैज्ञानिक के अथम परिश्रम का ही परिणाम है कि चंद्रयान–2 मिशन की सफलता ने भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके यान चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में चंद्रयान–2 का लैंडर चांद की सतह पर उतरने के साथ अमेरिका, रूस औरा चीन के बाद भारत ऐसे उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

पिछले हफ्ते अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जब चंद्रयान–2 अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रवाना नहीं हो पाया था तो इस घटना को भारत के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। लेकिन यह ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं थी जिसे भारत के चंद्रयान–2 मिशन की असफलता के रूप में देखा जाता। चंद्रयान को ले जाने वाले रॉकेट 'बाहुबलि' में ईंधन भरते समय रिसाव का पता चल गया था, जिस वजह से इसका प्रक्षेपण टालना पड़ा था। अब चंद्रयान–2 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है और सत्रह दिन बाद यह चंद्रमा की कक्षा के पथ पर बढ़ेगा।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने हमेशा से अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। चंद्रमा शुरु से ही वैज्ञानिकों के लिए गहरी दिलचस्पी और शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि धरती की उत्पत्ति से जुड़े रहस्य चांद में छिपे हैं।

दुनिया में अब तक जितने भी अंतरिक्ष मिशन दूसरे ग्रहों की ओर भेजे गए हैं, उनका मकसद ब्रह्मांड के बारे में आंकड़े और तस्वीरें जुटाना रहा है, ताकि सृष्टि के रहस्यों पर से परदा उठ सके। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने पिछले तीन–चार दशकों में जिस तेजी से तरक्की है, चंद्रयान और मंगल मिशन जैसे सफल अभियान उसी का परिणाम हैं। चंद्रयान मिशन भारत का पुराना मिशन रहा है और 2008 में भारत ने जो चंद्रयान–1 चांद की कक्षा में भेजा था, उसी से पहली बार धरती के इस उपग्रह पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिले थे।

भारत का चंद्रयान–2 मिशन सबसे महत्त्वपूर्ण और जटिल इसलिए भी है कि इस यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 'एटकेन बेसिन' नामक जिस स्थान पर उतरना है वहां आज तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है। मौसम के लिहाज से भी यह स्थान काफी चुनौती भरा है। इसके अलावा चंद्रमा पर धूल के गुबार भी बड़ी समस्या हैं। ऐसे में चंद्रयान–2 के लैंडर और रोवर में जो उपकरण लगे हैं, वे सही से काम करते रहें, वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चुनौती है।

चंद्रयान–2 मिशन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसके निर्माण में ज्यादातर योगदान भारतीय संस्थानों और कंपनियों का ही रहा है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ा। रोवर आइआइटी–कानपुर में विकसित किया गया है जिसे पानी और खनिजों के बारे में जानकारी जुटानी है।

भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव छठे दशक की शुरुआत में पड़ी थी जब 1963 में पहली बार थुंबा से रॉकेट छोड़ा था और उस रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर लाद कर ले गए थे। तब कोई सुविधाएं नहीं थीं। 'इसरो' का गठन 1969 में हुआ। सच्चाई तो यह है कि हमारे वैज्ञानिकों और विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों की पैसे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान–2 जैसे मिशन कामयाब हो रहे हैं तो इस श्रेय का हकदार सिर्फ हमारे देश का वैज्ञानिक समुदाय है। •

प्रति घृणा, अनादर, असमानता का भाव भरा हुआ है और वे अछूतों (दलितों) को 'मनुष्य' होने का बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है।

(1) आज भी गांवों में दलित घोड़ी पर चढ़कर गाजे–बाजे के साथ अपनी बारात नहीं निकाल सकता।

(2) गांव के कुंओं, तालाब पर पानी लेने के लिए नहीं चढ़ सकता।

(3) गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकता।

(4) गांव में दलितों को कोई भी सवर्ण अपना घर किराये पर नहीं देता।

(5) दलितों को दाम लेकर भी कोई सवर्ण उन्हें घी, दूध देने के लिए तैयार नहीं।

(6) दलितों को सवर्ण अपने ब्याह, शादी, धर्मभोज में अलग से जमीन पर बैठाकर 'जूठन' परोसता है।

(7) गांव में रहने के लिए सवर्ण उनसे बेगार करते हैं। मजदूरी मांगने पर बेइज्जती करते हैं।

(8) गांव में वह खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं खोल सकता।

(9) सवर्णों के मकानों के बराबर दलित अपना पक्का घर नहीं बना सकता।

(10) वह उनके जैसे साफ–सुथरे कपड़े नहीं पहन सकता।

जब आज की दलितों की नवपीढ़ी उनसे बराबरी करने लगती है तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और वे उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी महिलाओं पर भी बदले की भावना से जुल्म ढाते हैं। उन्हें खेत–खलिहानों, घरों से बेदखल करके गांव छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के एक गांव में एक दलित वे आज भी तुलसीदास के परम शिष्य बने हुए हैं, जिसने रामचरित मानस में लिखा था–

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी।
पूजिये विप्र गुण ज्ञान हीना।
ना पूजिये शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना।।

तुलसीदास को गये 400 साल हो गये हैं। देश गुलामी से आजाद हो गया है। मनुस्मृति की जगह 'भारतीय संविधान' लागू है जो सभी लोगों को स्वतंत्रता, समता, भाईचारे, न्याय, सुरक्षा का बराबर का अधिकार देता है। ये सब होने पर भी आज भी सवर्ण जाति के लोगों के अन्दर वर्ण व्यवस्था, जाति, भेदभाव, ऊंच–नीच, बड़ा छोटा की भावना का भूसा भरा है। भारतीय संविधान से चलने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में भरा असमानता, वर्ण, जाति, छुआछूत, ऊंच–नीच की भावना के गन्द को साफ करना होगा, तभी स्वच्छ भारत समृद्ध, स्वस्थ व स्वच्छ भारत बन सकेगा। जब तक देश में लोगों के दिल व दिमाग धर्मान्धता के साथ वर्ण, जाति भेदभाव, नफरत व ऊंच–नीच की गन्द से भरे हैं तब तक ऊपरी आवरण से बना स्वच्छ भारत जातिवाद के रोग से ग्रस्त दागदार ही बना रहेगा। इसके लिए गुरु रविदास जी के इस दोहे पर अमल करना उपयोगी रहेगा।

ऐसा चाहूं राज मैं जहां
मिले सबन को अन्न।
छोट–बड़े सब समबसै–
रविदास रहे प्रसन्न।।

– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिमायती
4 / अगस्त (प्रथम), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 अगस्त, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 30 जुलाई, 2019

राष्ट्रवाद के रास्ते

• आलोक पांडेय

भारत में हाल में आम चुनाव होकर चुके है। जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे पक्ष और विपक्ष की ओर से रखे गए। सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने लाया गया। इस मुद्दे पर काफी बहस भी चली। सब अपने–अपने विवेक से राष्ट्रवाद को परिभाषित करते रहे। लेकिन राष्ट्रवाद असल में है क्या? इसके सही स्वरूप को समझने की जरूरत है। दरअसल, राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है जो पूरे विश्व में आधुनिक चेतना आने के बाद सामने आई। राष्ट्र एक तरह से काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने ही समूह के सदस्यों के सामूहिक विश्वास, इतिहास, आशा आकांक्षा, कल्पना एवं राजनीतिक समझ जैसी मान्यताओं पर आधारित होता है। इन मान्यताओं को लोग उस समूचे समुदाय के लिए गढ़ते है ताकि वे अपनी सही पहचान कायम रख सकें। राष्ट्र निर्माण के इन तत्वों पर विचार करेंगे तो राष्ट्र की अवधारणा को आसानी से समझा जा सकता है।

कोई भी राष्ट्र बिना विश्वास के निर्मित नहीं हो सकता। विश्वास एक अमूर्त संकल्पना है। यही अमूर्त विश्वास ही राष्ट्र को बांधे रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि लोगों में यह विश्वास बना रहे कि वे एक–दूसरे के साथ हैं। राष्ट्र का एक जरूरी हिस्सा है उसका अतीत। बहुत से समुदाय अपने को एक राष्ट्र के रूप में मानना शुरु कर देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। स्थायी पहचान को प्रदर्शित करने के लिए वे सांझी स्मृतियों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और कथा–कहानियों के माध्यम से अपने एक साझे इतिहास–बोध को निर्मित करते हैं। इस प्रकार वे यह बता पाने में सक्षम होते हें कि उनका एक राष्ट्र के रूप में अटूट व लंबा इतिहास रहा है और उसका ठोस आधार व प्रमाण उनके पास मौजूद है। इस प्रकार वे सभ्यतामूलक नैरंतर्य व विरासत को परिपुष्ट करते हैं। इसी तरह एक अन्य आधार जिस पर राष्ट्र की नींव खड़ी होती है, साझी राजनीतिक पहचान व सामाजिक समझ है कि हमें किस तरह का राज्य चाहिए? हमारे समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैविध्य भरपूर हैं ऐसे में क्या हम एकांगी दृष्टिकोण वाली राजनीतिक समझ को लेकर चलें जो संकीर्ण हो या फिर ऐसे समन्वयकारी दृष्टिकोण को लेकर चलें जो सभी के हितों को साथ लेकर चलने वाली हो? चूंकि हमारा समाज वैविध्यपूर्ण है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि किसी के हित को हम न छेड़ते हुए समेकित रूप से आगे बढ़े।

अगर भारत के उदाहरण से समझें तो हम पाएंगे कि यहां अनेक धर्म, भाषा, जाति, रीति–रिवाज के लोग रहते हैं। एक राष्ट्र के रूप में यदि सबको समेटते हुए आगे बढ़ना है तो सबके हितों का खयाल भी रखना होगा। सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि कोई किसी के क्षेत्र के अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा और भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है। यही कारण है कि लोग इस एक विश्वास पर एक साथ रह रहे है। हमने एक राष्ट्र के रूप में, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत कुछ साझे राजनीतिक आदर्शों का निर्माण भी किया है एवं वर्तमान में लोकतंत्र का आदर्श हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने राष्ट्र के इन आधारों को समझा, इन सबको मिला कर एक अमूर्त समुदाय के रूप में जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं कि हमारा राष्ट्र ऐसा हो जाए, हम दुनिया के सिरमौर बने, सच्चे अर्थों में वही राष्ट्रवाद है सभ्यतामूलक नैरंतर्य, विरासत, विश्वास, आशा–आकांक्षा और राजनीतिक समझ को लेकर राष्ट्र के प्रति साझी व बलवती भावना ही राष्ट्रवाद है।

हम अपने अतीत के आधार पर स्वयं को विश्व गुरु मानते रहे हैं। परंतु वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में स्थितियां ठीक वैसी ही नहीं है। हमने गुलामी के लंबे दौर को देखा और उसके कटु अनुभव भी महसूस किए। और इन सबके बीच धीरे–धीरे हमारी एक साझी विरासत तैयार होती रही। दासता का सबसे बुरा रूप है ग्लानि की दासता, क्योंकि तब लोग अपने में विश्वास खोकर निराशा की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। हमें बार–बार बताया गया है कि एशिया अपने अतीत में जीवित रहता है। एशिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह प्रगति के पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़ रखा है। हमने न केवल इस दोषारोपण को स्वीकार कर लिया, अपितु अब हममें यकीन भी करने लगे हैं। भारत की प्रवृत्ति भी बहुत हद तक एशिया में रहने के कारण वैसी ही रही। आज भी हम अपने साझे इतिहास, टेकते हुए देखेंगे। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आज सामान्यजन में प्रचलित है यह पिछले राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करती है। एक राष्ट्र को आगे दिखाने के लिए उसके बरक्स एक और राष्ट्र को रखना होगा। और न केवल रखना होगा अपितु उसे कमजोर भी दिखाना होगा, ताकि उनका अपना राष्ट्र मजबूत दिख सके। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद नहीं है।

पश्चिमी के राष्ट्रववादी स्वरूप में अर्थ और राजनीति के मेल के फलस्वरूप अमानवीय बना देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन हमें ऐसे राष्ट्रवाद की भी आवयकता नहीं है जो केवल अर्थ के चलते पूरी दुनिया में एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाए और विश्व को अशांत करने में योगदान दे। भारत जिस वजह से विश्व गुरु बना था, आज उसी सिद्धांत को फिर से प्रसारित करने की जरूरत है। भारत के दर्शन में स्वयं अनेक विचारधाराएं हैं। हमने सामंजस्य को सर्वाधिक महत्त्व दिया है और यही हमारी खूबी रही है। समन्वय की नैतिक भावना ही हमें महान बनाती है और हमारे कला, विश्वज्ञान व धर्म का विकास इसी आधार पर हुआ है। हमने सभ्यता के शुरुआती दौर में इस बात का खयाल रखा कि लोग एक दूसरे के निकट आएं। हमें ऐसे राष्ट्रवाद की

दलित गौरव-हिमा दास : सिर्फ 21 दिनों में छह अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक

देश की नई उड़न परी हिमा दास का नाम सभी की जुबान पर है। हाल ही में उन्होंने चेक गणराज्य की नोव मेस्टो नाड मेटुजी ग्रां प्री में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में सीजन–बेस्ट 52.09 सेकेंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। एक महीने के भीतर उनका यह छठा स्वर्ण पदक है। उन्होंने दो जुलाई को यूरोप में, सात जुलाई को कुंटो एथलेटिकस मीट में, 13 जुलाई को चेक गणराज्य में और 18 जुलाई और 21 जुलाई को टाबोर ग्रां प्री में अलग–अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया।

हिमा पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 400 मीटर की रेस 51.46 सेंकड में पूरी करके यह रेकॉर्ड अपने नाम किया है। वे आईएएएफ वर्ल्ड अंडर–20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीनते वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।

एक महीने में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एंडोर्समेंट फीस सालाना 30-35 लाख से 60 लाख रुपए पहुंच गई है। 19 साल की हिमा असम में ढिंग शहर के पास एक छोटे से गांव कंधुलिमारी की रहने वाली है। उन्होंने दो साल में ही अपना नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराया है। हिमा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का नाम रंजीत दास है और वे किसान है। पांच भाई–बहनों में वे सबसे छोटी हैं। शुरू में हिमा की दिलचस्पी फुटबॉल में थी। वे स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। और हमेशा से ही इसी में अपना करिअर बनाना चाहती थी। हिमा खेलने–कूदने में आगे थी। अपने पिता के खेल में दोस्तों के साथ घंटों खेलतीं और दौड़ लगाती। वे गांव में आने वाली गाड़ियों के साथ रेस लगाती थी। वे लड़कों के साथ भी रेस लगाती और जीत जाती।

यह देख उनकी पीटी टीचर ने उन्हें धावक बनने की सलाह दी। वे अपने पिता के खेल में और गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव ही दौड़ लगाती थी। स्थानीय कोच निपून दास की सलाह मानकर हिमा ने जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हिमा की लगन को देखते हुए निपुन दास उन्हें गुवाहाटी लेकर आएं। शुरु में हिमा 200 मीटर की दौड़ में भी भाग लेने लगी। यहां से हिमा दास का करिअर एथलीट के तौर पर शुरु हुआ।

अप्रैल 2018 के गोल्ड कोस्ट में हुएं राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर की स्पर्धा में हिमा दास ने 51.32 सेकेंड में दौर पूरी करते हुए छठवां स्थान प्राप्त किया था। गुवाहाटी में हुई अंतरराज्यकीय चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। फिनलैंड में आयोजित विश्व अंडर–20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर फाइनल जीता। इसके अलावा 18वें एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में हिमा दास ने दो दिन में दूसरी बार महिला 400 मीटर में राष्ट्रीय रेकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता है। इसी साल हिमा दास ने पोलैंड में पॉज्नान ऐथलेटिक्स ग्रां प्री में 200 मीटर का स्वर्ण जीता। उसके बाद उसने कुट्टनो एथलेटिक्स मीट में पोलैंड में भी 200 मीटर का स्वर्ण पदक जीता। •

विश्वास व परंपरा को देख सकते हैं, दंभ भर सकते हैं, लेकिन क्या इसी से वर्तमान राष्ट्र की भावना मजबूत होगी? क्या अतीत के गौरवगान से हम फिर से विश्व गुरु का तमगा हासिल कर पाने में सफल होंगे? आज अवधारणा भी बदल गई है, विश्व गुरु नहीं, आज सबको विश्वशक्ति होना है। या आवश्यकता है कि समूचे स्तर पर वैसे कार्य किए जाएं कि अपने राष्ट्र को फिर से बेहतर स्थिति में ला सकें। अगर आज भी हम अतीत के गौरव का वर्तमान तौल रहे हैं, तो सच मानिए हम अपने आप को पंगु बना रहे हैं। क्योंकि वास्तव में हमें मजबूत बनना है।

जहां आज पश्चिमी राष्ट्रवाद का बोलबाला है, वहीं इतिहास के कल्पित अर्धसत्य एवं असत्य द्वारा, अन्य नस्लों और संस्कृतियों के बारे में किए गए झूठे प्रचार द्वारा, पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति निरंतर द्वेष के द्वारा और सामान्यतया झूठी घटनाओं के स्मृति समारोह द्वारा लोगों को घृणा तथा हर प्रकार की महत्वाकांक्षा का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। इन प्रवृत्तियों को यथासंभव शीघ्रता से भूला देने में ही मानवता की भलाई है। यदि हम भी पश्चिमी राष्ट्रवाद की अवधारणा को अपनाएंगे तो हम भी राजनीतिक दबाव के आगे सामाजिक आदर्शों को घुटने अवधारणा को अपनाना है जो पश्चिमी अर्थ व राजनीति के नियमों से संचालित न हो, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, बल्कि उसमें भारतीय दर्शन के तत्व मौजूद होने चाहिएं, ताकि हम शांतिपूर्वक भौतिकता व आध्यात्मिकता के साथ संतुलन बना कर मानवीयता के पक्षधर बन कर विश्व में मिसाल कायम कर सकें। •

लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि

लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान का रविवार 20 जुलाई, 2019 दोपहर बाद निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। रामचंद्र पासवान केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बताया कि उनके चाचा का यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोपहर बाद 1.24 बजे निधन हो गया। रामचंद्र को पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी सांसद रामचंद्र पासवान के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करती है। दलित समाज के उत्थान के लिए किये गये उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009